

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)
क्रमांक:- 1562 दिनांक:- 24-7-23

सीमित निविदा सूचना

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) में गद्दे, कुर्सी व डस्टबीन हेतु पंजीकृत संरथाओं से मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	सामग्री / कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रु.	निविदा विक्रय करने की अंतिम दिनांक	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	गद्दे, कुर्सी व डस्टबीन हेतु निविदा	95000	31.07.23 अप. 05:00 बजे	31.07.23 अप. 05:00 बजे	01.08.23 10:00 AM

एवं

उक्त निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत जारी की जाकर निविदा की अन्य शर्तें कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

सदस्य सचिव

मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी नीमकाथाना

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)
क्रमांक:- 1562 दिनांक:- 24-7-2023

गददे, कुर्सी व डस्टबीन हेतु निविदा आवेदन प्रपत्र

उक्त निविदा सूचना आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

1061
सदस्य सचिव

मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी नीमकाथाना

तकनीकी बिड (स्टेज-1)

1. निविदादाता व्यक्ति / फर्म का नाम एवं पता :
2. फर्म / प्रोपराइटर / पार्टनर / संचालक का पैन न. : (फोटो प्रति सलंगन करें)
3. ई - मेल एड्रेस :
4. निविदा शुल्क की नकद जमा राशि रुपये 200/- रसीद सं..... दिनांक.....

क्र. सं.	नाम आईटम मय विवरण	मात्रा
1	MATTRESS	30
2	chair	15
3	COVERED DUSTBIN (50 ltr)	10
4	COVERED DUSTBIN (25 ltr)	10

5. संलग्न प्रमाण पत्रों/दस्तावेज का विवरण:-

क्र. सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉ या नहीं	जारी होने की तिथि/वैद्यता अवधि/बैंक का विवरण
1.	पेन कार्ड (आयकर)		
2.	ब्लैकलिस्टेड नहीं किये जाने के संबंध में स्वघोषणा पत्र		
3.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र		
4.	प्रपत्र एस.आर.-11 की मूल प्रति।		
5.	यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।		
6.	यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष सहित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति।		
7.	कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।		
8.	निविदा शुल्क राशि 200/- जमा कराने का साक्ष्य की प्रति		

उक्त रजिस्ट्रेषन के संबंधित सत्यापित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिये गये

है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम वास्तविक व्यापार कर्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्ता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समर्पित कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

(जो लागू हो उसे ✓ करें)

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

वित्तीय निविदा(स्टेज 2)

S.R.No	Name of Item with Description	Rate per item in RS.(Included all taxes)
01	MATTRESS	
02	chair	
03	COVERED DUSTBIN (50 ltr)	
04	COVERED DUSTBIN (25 ltr)	

NOTE :- All the attached specification should be as " Equivalent or Higher".

दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में प्रस्तुत करें। ओवरराइटिंग एवं कटिंग है तो लघुहस्ताक्षर जरूर करें।

1. वित्तीय निविदा अलग से बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
2. विभाग द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. काट कर भुगतान किया जावेगा।
3. उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठ में दी गई हैं, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमारे हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

8/11/2024

SPECIFICATIONS for items

S.no.	Name of item	Specification	Specification available enter by bidder yes /no
1	Mattress	Mattress size 3x6 fit , 4" with raxine cover with 2 year warranty (form 32 density)	
2	Office chair	With steel base With steel side handle. Pu sheet foam.	
3	COVERED DUSTBIN (25 ltr)	black Plastic	
4	COVERED DUSTBIN (50 ltr)	black Plastic	

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर)

निविदा की शर्तें

नोट :— निविदादाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्ण रूपयण पालना करनी चाहिए। इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा प्रस्तावक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इस निविदा के क्रम में किए जाने वाले क्रय पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे। उक्त सामग्री का आपूर्ति के संबंध मे दर प्रस्तुत करते समय राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 46 के अनुसार दर प्रस्तुत करने से पूर्व क्य समिति से विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेवे तथा दर प्रस्तुत करते समय सामग्री का तकनीकी विवरण लिखा जावे जिसके आधार पर दर व किस्म मे तुलना की जा सके।

प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जायेंगे। अन्यथा उक्त प्रभार निविदा दाता को वहन करने होंगे।

12. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं पाई जाएगी, उन्हे रद्द कर दिया जाएगा तथा निविदा दाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री को क्रेता अधिकारी द्वारा नियत समय (1 माह) के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
13. निविदा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तों के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही नीमकाथाना न्यायालय में ही होगी।
14. निविदा दाता उचित पैकिंग/फिक्सिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, कमी होने के मामले में निविदा दाता उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
15. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश देने की दिनांक से 5 दिन की अवधि के अंदर की जाएगी।
16. यदि क्रेताधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदा दाता किसी क्षति पूर्ति का कलेम करने के अधिकृत नहीं होगा।
17. भुगतान :—
 - (1) राशि का भुगतान दिए गए आदेश के अनुरूप सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर दिया जाएगा।
 - (2) भुगतान निविदा दाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
 - (3) नियमानुसार देय कर की कटौती भुगतान के समय स्त्रोत पर की जाएगी।
 - (4) निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
19. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :—

- 1(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत ।
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत ।
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत ।
- (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत ।
2. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।
3. यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न किये सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।
4. यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।
20. वसूलियां :—परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों में रोकी जाएगी । कम सप्लाई, रद्द किये गये माल की मात्रा की राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि केलेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी ।
21. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाए, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदा दाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक से अधिक सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा ।
22. यदि संविदा के निर्वचन आशय का संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा एवं इसमें अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का ही होगा, जो कि निविदादाता को मान्य होगा ।

23. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार को निविदा दाताओं द्वारा नीमकाथाना न्यायिक क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी।
24. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथास्थान लागू होंगे।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम एवं मोबाइल नं.....

10/10/2019